

कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

—: आदेश :-

रिट याचिका (क्रिमिनल) सं. 666-70/1992 - विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.1997 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश एवं सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना के संकल्प सं. 2058, दिनांक 17.04.2001 एवं तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3277, दिनांक 26.02.2013 के आलोक में समाहरणालय, किशनगंज के लिए निम्नांकित रूप से परिवाद समिति का गठन किया जाता है :-

1. श्रीमती सुमन कुमारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, किशनगंज — अध्यक्ष
2. श्रीमती गीता सिन्हा, प्रधान लिपिक, जिला आपदा प्रबंधन, किशनगंज — सदस्य
3. श्रीमती अनिता देवी, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला नीलाम पत्र प्रशाखा, किशनगंज — सदस्य
4. श्रीमती मैत्री घोष, लिपिक, जिला सामान्य प्रशाखा, किशनगंज — सदस्य
5. श्रीमती सरिता देवी, लिपिक, जिला पारगमन प्रशाखा, किशनगंज — सदस्य
6. श्री शिवानी दास, कार्यालय परिचारी, जिला राजस्व प्रशाखा, किशनगंज — सदस्य
7. श्री जयनारायण राम, प्रधान लिपिक, जिला राजस्व प्रशाखा, किशनगंज — सदस्य
8. श्री नित्यानंद मिश्र, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला पंचायती राज प्रशाखा, किशनगंज — सदस्य
9. श्री परेश नाथ पाण्डेय, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला निर्वाचन प्रशाखा, किशनगंज — सदस्य

उक्त समिति यौन उत्पीड़न संबंधी आचरणों चाहे ऐसा आचरण किसी कानून के तहत अपराध हो या सेवा नियमावली का उल्लंघन के कारणों से उद्भूत शिकायतों के समुचित निष्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

उक्त समिति प्राप्त शिकायतों एवं उनके द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन एवं विकास आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेगी।

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार अवश्य होगी, किन्तु समिति की आवश्यकतानुसार कभी भी समिति की बैठक बुला सकेंगी।

यह आदेश निगंत की तिथि से प्रभावी होगा।


ह./--

(आदित्य कुमार दास, अध्यक्ष)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।

प्रतिलिपि : ज्ञापक 1028 सी., किशनगंज, दिनांक 26.08.2013
समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना के संकल्प सं. 2058, दिनांक 17.04.2001 एवं तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3277, दिनांक 26.02.2013 की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचना एवं जिला के आधिकारिक वेब साईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को ई-मेल हेतु प्रेषित।

- प्रतिलिपि :: जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहद् प्रचारार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: सभी कार्यालय प्रधान, समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: उप विकास आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच/सिविल सर्जन/अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को कार्यालय पत्रांक 3277, दिनांक 26.02.2013 के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि :: प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय), बिहार, पटना को कार्यालय पत्रांक 1801, दिनांक 30.07.2013 के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि :: माननीय सदस्य, राजस्व पर्वद-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समीक्षा एवं शिकायत निवारण समिति, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय), बिहार, पटना को पत्रांक 1801, दिनांक 30.07.2013 के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।


(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।